FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

लाछी देवी बनाम मूलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा दा॰ धारा 88, 91, 53, 183, 188, 92 व 209 RTAct नं. 179/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/15	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री इन्द्रसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/~~दावा~~/अपील धारा 88, 91, 53, 183, 188, 92 व 209 RTAct राजस्थान ~~काश्तकारी~~/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 02/02/2016 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
02/02/16	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास होने से उसका नाम रिकार्ड से हटाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस वादिनी अकेली है जो वादिनी के रूप में रेकर्ड पर पहले से है अत: प्रतिवादी संख्या 1 का नाम रेकर्ड से हटाया जावे। प्रार्थना-पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 19/04/16 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

19/04/16 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/16 को पेश हो। [signature]

24/06/16 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/09/16 को पेश हो। [signature]

14/09/16 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। वादी वकील प्रतिवादीगणों का सम्मन तलबाना पुनः पेश करें, पेश होने पर जारी होकर पत्रावली फाईनल दिनांक 29/11/16 को पेश हो। [signature]

29/11/16 वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रतिवादीगणों का सम्मन तलबाना व संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया, जाना पेश करना चाहते हैं। एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली फाईनल दिनांक 16/01/17 को पेश हो। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/01/17 को पेश हो। [signature]

16/01/17 वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक व प्रतिवादीगणों के सम्मन पेश नहीं किये गये। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दोपहर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/03/17 को पेश हो। [signature]

Scanned by CamScanner

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/17	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक व प्रतिवादीगणो के समन तलबाना पुन: पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते है। मुकर्रर किया जाकर पत्रावली दिनांक 25/04/17 को पेश हो।	
25/04/17	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा पूर्व आदेशों की पालना नहीं की गई फाईल पेश करना चाहते है एवं पू. अन्तिम मुकर्रर दिये गये, अन्तिम मुकर्रर किया जाकर पत्रावली दिनांक 10/05/17 को पेश हो।	
10/05/17	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर से वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी द्वारा आर्डर टेकिंग ली गई। वादी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया फाईल पेश करना चाहते है मुकर्रर किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/09/17 को पेश हो।	2 ता 5
13/09/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक व प्रतिवादी वकील द्वारा वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते है एक और मुकर्रर किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/11/17 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

13/11/17 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/01/18 को पेश हों।

10/01/18 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया आइन्दा पेश करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/01/18 को पेश हो।

23/01/18 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21/02/18 को पेश हों।

21/02/18 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आइन्दा पेश करना चाहते हैं पूर्व के पर्याप्त अवसर दिये गये अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/04/18 को पेश हो।

पुनश्च: वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते धारा 53 RTAct विड्रो करने का प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तथा धारा 53 RTAct वाद में से विड्रो की गई व पत्रावली नियत दिनांक 11/04/18 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/05/18	वकलाय फरीकैन उपस्थित / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा व प्रति जवाब तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के वकील द्वारा जवाब पेश नही किया गया फाईल्ना पेश करना चाहते है / पूर्व मे अंतिम अवसर दिया गया था न्यायहित मे एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/06/18 को पेश हो /	
25/06/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 के चलते ग्राम पंचायत उडो की ढाणी मे रखी गई वकलाय फरीकैन उपस्थित / अत: पूर्व आदेशिका की पालना हेतु पत्रावली दिनांक 04/07/18 को पेश हो /	
04/07/18	वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (3) अधिवक्ता या स्वयं कोई उपस्थित नही हुआ / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं या इनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नही होने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है / प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जवाब पेश नही करना चाहते है अत: प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 11/07/18 को पेश हो /	जवाब पेश नही करना चाहते है / अधि. प्रतिवादी सं. 3 व 4

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	वादी वकील उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित । वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 वादीनी स्वयं लाछी देवी पुत्री मूलाराम जाति-जाट निवासी-ईसरवाली तहसील-बायतु हाल निवासी-[illegible] तहसील-शिव जिला-बाड़मेर (राज०) व PW-2- ऊर्जाराम पुत्र श्री भोजाराम जाति-जाट निवासी-ईसरवाली तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया । वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है वादी साक्ष्य बंद किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/07/2018 को पेश हो । सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	ऊर्जाराम
23/07/18	वादीनी के वकील उपस्थित । प्रतिवादीगणों के वकील अनुपस्थित । वादीनी के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादीनी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिन्दु होने से हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से प्रशासित होते है। भेराराम के पुत्र ऊदाराम, ऊदाराम के दो पुत्र मूलाराम व मानाराम है। मूलाराम के एक मात्र पुत्री वादीनी लाछी देवी है। कि पूर्वज ऊदाराम के समय की पैतृक एंव सहदायिगी सम्पति ग्राम सुकनोणियों की ढाणी परवार हल्का भीमडा के खेत खसरा नम्बर- 532 रकबा- 08.16	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा, खसरा नम्बर - 573 रकबा - 84.18 बीघा, खसरा नम्बर - 785/573 रकबा - 05.07 बीघा कुल रकबा - 99.01 बीघा, भूमि और ग्राम सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली के खसरा नम्बर - 458 रकबा - 12.02 बीघा, खसरा नम्बर - 605/567 रकबा - 74.00 बीघा खसरा नम्बर - 606/570 रकबा - 22.02 बीघा कुल दोनों गांवों की भूमि रकबा - 207.05 बीघा आई हुई है। उपरोक्त खसरों की भूमि पैतृक एवं मिताक्षरा सहदायिकी भूमि होने से वादीनी का उक्त खसरों की भूमि में जन्म से हक उत्पन्न हो गया है। इस कारण ग्राम मुकनोणियों की ढाणी पटवार हल्का - भीमडा के खसरा नम्बर - 532 रकबा - 8.16 बीघा, खसरा नम्बर - 573 रकबा - 84.18 बीघा, खसरा नम्बर - 785/573 रकबा - 05.07 बीघा कुल रकबा - 99.01 बीघा भूमि में वादीनी का 1/8 हिस्सा और ग्राम सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली के खेत खसरा नम्बर - 458 रकबा - 12.02 बीघा भूमि में वादीनी का 1/4 हिस्सा, तथा ग्राम सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली के खेत खसरा नम्बर - 605/567 रकबा 74.00 बीघा, खसरा नम्बर - 606/570 रकबा - 22.02 बीघा भूमि में वादीनी का 1/8 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार मौके पर कब्जा काश्त पक्षकारान का लगातार चला आ रहा है। वादीनी स्व. मूलाराम के इकलौती संतान है वादीनी के कोई भाई व बहिन नहीं है। स्व. मूलाराम वृद्ध, लाचार किस्म का व्यक्ति था जो संशोधित वाद में प्रतिवादी संख्या 1-मानाराम व प्रतिवादी संख्या - 2 मानाराम की पत्नि रूपो देवी के अभिरक्षा में रहता था। उक्त स्थिति का फायदा उठाकर साक्ष्य वालों व उप पंजीयक से मिलावट कर मानाराम ने अपनी पत्नि श्रीमती रूपो देवी के नाम स्व. मूलाराम से	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामील में जारी हुए
	बेनामी बेचान दिनांक 23.11.2015 को बिना प्रतिफल के निष्पादित करवा दिया जिसका ज्ञान वादिनी को नहीं होने दिया। स्व० मूलाराम के पास उपरोक्त खसरों की पैतृक भूमि होने से ग्राम मुकनोडियों की ढाणी पटवार मण्डल भीमड़ा के खसरा नम्बर- 532 रकबा- 08.16 बीघा, खसरा नम्बर- 573 रकबा- 84.18 बीघा, खसरा नम्बर- 785/573 रकबा- 05.07 बीघा कुल रकबा- 99.01 बीघा भूमि में स्व० मूलाराम को 1/8 हिस्सा, और ग्राम सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली के खेत खसरा नम्बर- 458 रकबा- 12.02 बीघा भूमि में स्व०- मूलाराम को 1/4 हिस्सा तथा ग्राम सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली खसरा नम्बर- 605/567 रकबा- 74.00 बीघा, खसरा नम्बर- 606/570 रकबा- 22.02 बीघा भूमि में वादिनी के पिता स्व० मूलाराम को 1/8 हिस्सा की भूमि बेचने का ही अधिकार था। उससे ज्यादा किया गया उपरोक्त बेचान वादिनी के अधिकारों व हक की सीमा तक अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है। उपरोक्त बेचान से वादिनी पाबन्द व जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि उपरोक्त बेचान में वादिनी पक्षकार नहीं है। उपरोक्त किया गया बेचान बेनामी बेचान है। वादिनी को संशोधित शीर्षक में प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा बेदखल करने की धमकियें दी और उपरोक्त खसरों	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का बेचान अपनी पत्नी के नाम करवाने का कहा तब वादिनी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर वाद में वर्णित हिस्सो मालिक वादिनी खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारीणी है। स्व० मूलाराम द्वारा संशोधित विलेख में प्रतिवादी संख्या-2 रूपो देवी को किया गया बेचान दिनांक 23.11.2015 वादिनी के अधिकारों तक अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने की अधिकारी है। इसलिए वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी के अधिकारो की घोषणा की जावे। वादिनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 लाछी देवी पुत्री मुलाराम जाति-जाट निवासी- हरखाली तहसील-बायतु हाल निवासी- रातड़ी तहसील-शिव जिला बाड़मेर (राजस्थान) व PW-2- श्री ऊजाराम पुत्र श्री भोजाराम जाति-जाट निवासी- हरखाली तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर (राजस्थान) के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा वादिनी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत वादी साक्ष्य के शपथ-पत्रों का अवलोकन करने से ~~कारण~~ उक्त	

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी पैतृक साबित होती है। जिसमें वादीनी का जन्म से अधिकार है। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- मुकनो- णियों की ढाणी पटवार हल्का भीमडा के खेत खसरा नम्बर- 532 रकबा- 0.16 बीघा, खसरा नम्बर- 573 रकबा- 84.18 बीघा, खसरा नम्बर- 785/573 रकबा- 05.07 बीघा कुल रकबा- 99.01 बीघा भूमि में वादीनी का 1/8 हिस्सा व ग्राम सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली के खेत खसरा नम्बर- 458 रकबा- 12.02 बीघा भूमि में वादीनी को 1/4 हिस्सा तथा ग्राम सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली के खेत खसरा नम्बर- 605/567 रकबा- 74.00 बीघा खसरा नम्बर- 606/570 रकबा- 22.02 बीघा भूमि में वादीनी को 1/8 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा स्व. मूलाराम द्वारा श्रीमती रूपो देवी पत्नी मानाराम खरीददार को किया गया बेचान को वादीनी के अपने अधि- कारों पर अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय मुताबिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

Jud/Civil
Part IV-10

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम [illegible]

इजलास श्री हेमाराम चौधरी RAS. प्यारी देवी बनाम मूलाराम वगैरा

दावा बाबत धारा 88, 91, 188, 183, 92 व 209 RTAct

मुकदमा नं. 179/15 सन 2015

यह मुकदमा आज इनफिसाल कलाई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री [illegible] चौधरी एड0 मिनजानिब मुदई व —

मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीनी का दावा स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा [illegible] की ढाणी परगना तहसील [illegible] के खेत खसरा नम्बर 532 रकबा 8.16 बीघा खसरा नम्बर 523 रकबा 84.18 बीघा खसरा नम्बर 785/573 रकबा 05.07 बीघा कुल रकबा 99.01 बीघा भूमि में वादीनी का 1/8 हिस्सा व ग्राम सिंगोडिया परगना तहसील [illegible] के खसरा नम्बर 458 रकबा 12.02 बीघा भूमि में वादीनी के 1/4 हिस्सा तथा ग्राम सिंगोडिया परगना तहसील [illegible] के खेत खसरा नम्बर 605/567 रकबा 74.00 बीघा खसरा नम्बर 606/570 रकबा 22.02 बीघा भूमि में वादीनी को 1/8 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मूलाराम द्वारा श्रीमती रूपी देवी पत्नी मानाराम खातेदार को किया गया बेचान को वादीनी के हकों अधिकारों पर अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। तहसीलदार [illegible] नियमानुसार [illegible] रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा बाद पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

कौम .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 07 2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO)

बाबत मुदई	रूपया	पै.	बाबत मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजेह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

वादीनी

1. श्रीमती लाछी देवी पुत्री मूलाराम पत्नी पूनमाराम जाति- जाट निवासी- हरख्याली तहसील- बायतु हाल निवासी- वालड़ी तहसील- शिव जिला- बाड़मेर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मानाराम पुत्र उदाराम
2. रूपोदेवी पत्नी मानाराम
3. हनुमान पुत्र रावलराम
4. गवरी बेवा रावलराम

जाति- जाट निवासी- हरख्याली तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर (राजस्थान)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner